यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)
पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

जस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 49/2021
दायर दिनांक – 27.09.2021
निर्णय दिनांक – 20.10.2021
जीसीएमएस नं0 –2021/112

प्रशासन गाँवो के संग अभियान–2021

प्रशासन गाँवो के संग अभियान–2021, कैम्प स्थल तिलोरा
क्रमांक/प्र.गाँ.के सं.अभि. 2021/ दिनांक 20/10/21

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री नम्रता शारदा पत्नी डॉ0 मनीष शारदा जाति हिन्दू निवासी मानविला अशोक मार्ग, अजमेर तहसील पुष्कर अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री एस0के0चौधरी, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि वर्किंग खसरा नंबर 39/3 एवं 40/3 कुल रकबा 04–00–00 बीघा को प्रार्थिया ने दिलीप अग्रवाल पुत्र निरंजनलाल अग्रवाल से खरीदकर कब्जा व दखल प्राप्त किया जिसका पंजीयन उप–पंजीयक कार्यालय पुष्कर में दिनांक 18.01.2012 को क्रमांक 66/2012 पर पंजीबद्ध किया गया, जिसका नामा0 सं0 1095 दिनांक 21.02.2012 को प्रार्थिया के नाम दर्ज हो गया परंतु नवीन भू–राजस्व रिकॉर्ड में लिपिकीय त्रुटि के कारण वर्तमान खसरा नंबर में प्रार्थिया का नाम इन्द्राज नहीं हुआ,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

...मान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत ... गया।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 01 तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/2139 दिनांक 18.10.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " ग्राम तिलोरा के राजस्व रिकॉर्ड वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के खाता सं0 65 के खसरा सं0 39 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 40 रकबा 10बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 41 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा किता 03 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा में खातेदार देवाराम वल्द नोलाराम जाति भाट सा. देह दर्ज है। तिलोरा के वर्किंग जमाबंदी में दर्ज साबिक खसरा नंबर 39 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा के नये खसरा नंबर 803 रकबा 1.00 है0, 804 मि. रकबा 0.05 है0, 807 रकबा 0.32 है0 व 808 रकबा 0.07 किता 04 रकबा 1.44 है0 व साबिक खसरा नंबर 40 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा के नये नंबर 800 रकबा 0.63 है0, 804 मि0 रकबा 0.30 है0, 805 रकबा 0.02, 806 रकबा 0.66 है0 व 800/2687 रकबा 0.01 है0 तथा साबिक नंबर 41 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा के नये नंबर 808/2770 रकबा 0.62 है बने है। वर्किंग जमाबंदी में नामा0 सं0 240 दिनांक 26.05.1993 तस्दीक नायब तहसीलदार के आदेशानुसार खसरा नंबर 39 मि. रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, 40 मि. रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल 10 बीघा 5 बिस्वा पर भंवर कंवर बेवा मूलसिंह व मदनसिंह दुर्जनसिंह पि. मूलसिंह कौम राजपूत के नाम दर्ज हुआ । शेष खसरा नंबरान 39 मि. रकबा 02 बीघा 4 बिस्वा, 40 मि. रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा व 41 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा पर देवाराम वल्द नोलाराम जाति भाट सा. देह के नाम दर्ज हुआ। नामा0 सं0 352 दिनांक 01.04.2002 से खसरा नंबरा 39 मिन0 रकबा 02 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 40 मि. रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 41 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा पर खातेदार देवाराम पुत्र नोलाराम जाति भाट सा. देह का हिस्सा भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रा. बैंक शाखा पुष्कर के पक्ष में रहन दर्ज हुआ। नामा. सं. 573 दिनांक 13.01.2006 के अनुसार जरिये बैचान से खसरा नंबरान 39 मि. रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, 40 मि. रकबा 03 बीघा 11 बा. पर भंवरकंवर बेवा मूलसिंह मदनसिंह दुर्जनसिंह पि. मूलसिंह कौम राजपूत के स्थान पर मैसर्स संदीप गोयल एच.यू.एफ.ब जरिये श्री संदीप गोयल कर्ता व चीप पता सी–जे 71 सा. अजमेर के नाम दर्ज हुआ। नामा. सं. 803 दिनांक 11.01.2008 जरिये श्रीमान् नायब तहसीलदार पुष्कर द्वारा तरमीम आदेश क्रमांक NT/.../7/1361 दिनांक 23.12.07 के द्वारा खसरा नंबर 39 मि. रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा, 40 ... रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा, 40 मि. रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, 39 मि. रकबा 02 बीघा ... बिस्वा पर मैसर्स संदीप गोयल एच.यू.एफ.ब जरिये श्री संदीप गोयल का अंकन स्वीकार हुआ। खसरा नंबर 39/1 रकबा 02 बीघा 4 बिस्वा व 40/1 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, 41 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested

20.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

पुत्र नोलाराम जाति भाट सा. देह का अंकन हुआ। नामा. सं. 996 दिनांक 05.08. विक्रय से खसरा नंबर 39/1 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, 40/1 रकबा 06 बीघा 10 देवाराम पुत्र नोलाराम के विक्रय से खसरा नंबर 39/3 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा बा. 1, खसरा नंबर 40/3 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा पर क्रेता दिलीप कुमार अग्रवाल पुत्र निरंजन लाल जाति अग्रवाल सा. बड़ी बस्ती पुष्कर का अंकरन स्वीकार हुआ। खसरा नंबर 39/1 रकबा 09 बिस्वा व 40/1 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा पर देवाराम पुत्र नोलाराम जाति भाट का अंकन हुआ। नामा. सं. 1095 दिनांक 21.02.2012 से 39/3 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 40/3 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा पर दिलीप अग्रवाल पुत्र निरंजन जाति अग्रवाल के स्थान पर नम्रता शारदा पत्नी मनीष का अंकन स्वीकार हुआ। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 2868/800, 2869/807, 804, 805, 806, 808, 808/2770 किता 7 रकबा 2.0292 है0 देवाराम पुत्र नोलाराम जाति भाट सा. देह के नाम दर्ज है। अतः राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 2868/800, 2869/807, 804 किता 03 रकबा 0.66 है0 डॉ0 नम्रता शारदा पत्नी डॉ0 मनीष शारदा के नाम किया जाना उचित होगा।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 202 के खसरा नंबरान 2868/800, 2869/807, 804, 805, 806, 808, 808/2770 में खातेदार देवाराम पुत्र नोलाराम जाति भाट सा. देह एवं नम्रता शारदा पत्नी डॉ. मनीष शारदा के नाम दर्ज करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

20.10.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम तिलोरा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड सेग्रीगेशन जमाबन्दी के खाता सं. 202 खसरा संख्या 2868 / 800, 2869 / 807, 804 किता 03 रकबा 0.66 है0 (अन्य राजस्व रिकॉर्ड यथावत्) **के नाम दर्ज** किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा सरे—इजलास सुनाया गया।

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:21:25 IST
Reason: SelfAttested